



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 715]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 7, 2016/आश्विन 15, 1938

No. 715]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 7, 2016/ASVINA 15, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2016

सा.का.नि. 963(अ).—केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित केन्द्रीय मोटर नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 425 (अ), तारीख 18 अप्रैल, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में उनसे द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों द्वारा उस तारीख से जब प्रारूप नियमों से अंतर्विष्ट उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थीं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किए गए थे ;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को 18 अप्रैल, 2016 को उपलब्ध करवाई गई थीं;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है ;

अतः, केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटरयान नियम (18 वां संशोधन) नियम, 2016 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है),  
(1) नियम 93 में,-  
(क) उपनियम (2) में,-  
(अ) खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं द्वारा मोटर यानों को उनके कारखानों से देश में भिन्न भिन्न विक्रय केन्द्रों पर ले जाए जाने के लिए लगाए गए अर्टिकुलेटेड यानों की दशा में 18.75 मीटर।"

(आ) खंड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"परंतु 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं द्वारा मोटर यानों को उनके कारखानों से देश में भिन्न-भिन्न विक्रय केन्द्रों पर ले जाए जाने के लिए लगाए गए ट्रक-ट्रेलर या ट्रैक्टर ट्रेलर यानों की दशा में 18.75 मीटर:

परंतु यह और कि 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं द्वारा मोटर यानों को उनके कारखानों से देश में भिन्न-भिन्न विक्रय केन्द्रों पर ले जाए जाने के लिए लगाए गए अर्टिकुलेटेड या ट्रक ट्रेलर या ट्रैक्टर ट्रेलर यान के कंटेनर की बाँड़ी पर कंटेनर में ले जाए जाने वाले मोटर यानों का सत्यापन करने के लिए स्लाइडिंग निरीक्षण खिड़की लगाई जाएगी और स्लाइडिंग निरीक्षण खिड़की की न्यूनतम लंबाई 400 मि.मी. और ऊंचाई 300 मि.मी होगी और कम से कम एक स्लाइडिंग निरीक्षण खिड़की तीसरे यान के पास बीच में फिट की जाएगी, प्रमुख स्लाइडिंग निरीक्षण खिड़की आगे से 3 मी. से ज्यादा नहीं होगी; ट्रेलर की दशा में इस दूरी को मापने के लिए ड्रावार की लंबाई को ध्यान में रखा जाएगा और दो समीपस्थ स्लाइडिंग निरीक्षण खिड़कियों के बीच की दूरी 4 मी. से अधिक नहीं होगी, स्लाइडिंग निरीक्षण खिड़की का ऊपरी सिरा, भूमि से 1.8 मी. से अधिक नहीं होगा;";

(II) उक्त नियमों के नियम 118 के उपनियम (1) के दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह भी कि 1 अप्रैल, 2017 से ही ऑटोमोबाइल विनिर्माता द्वारा उनके कारखानों से देश में भिन्न-भिन्न विक्रय केन्द्रों पर मोटरयान ले जाने के लिए लगाए गए अर्टिकुलेटेड, ट्रक-ट्रेलर या ट्रैक्टर ट्रेलर, उस समय तक जब तक तत्स्थानी भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश अधिसूचित करे यान विनिर्माता द्वारा, या तो विनिर्माण के प्रक्रम पर, या डीलरशिप प्रक्रम पर समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस 018/2001 मानक के अनुरूप 60 किलोमीटर की अधिकतम गति वाले स्पीड गर्बनर (गति सीमित करने वाली युक्ति या गति सीमित करने वाला कार्यकरण) से सज्जित होगा या उसमें लगा होगा;";

(III) उक्त नियमों के नियम 125 के उपनियम (2) के तीसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि [1 अप्रैल, 2017 से ही] ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं द्वारा उनके कारखाने से देश में भिन्न-भिन्न विक्रय केन्द्रों पर मोटर यान ले जाए जाने के लिए अर्टिकुलेटेड, ट्रक-ट्रेलर या ट्रैक्टर-ट्रेलर यान पश्च निगरानी संबंधी कैमरे मॉनीटर युक्ति या पश्च अवलोकन कैमरे से सज्जित होगा।"

[स. आरटी-11028/29/2006-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और सा.का.नि. 953(अ) तारीख 5.10.2016 द्वारा उनका अन्तिम संशोधन किया गया।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2016

**G.S.R. 963(E).**—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 425(E), dated the 18th April, 2016, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the said notification containing the draft rules were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 18th April, 2016;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (18th Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred as the said rules),

(I) In rule 93, \_

(a) in sub-rule (2),—

(A) after clause (iii), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that on and after the 1st April 2017, in case of articulated vehicles, engaged by automobile manufacturers to carry motor vehicles from their factories to different sale outlets in the country, 18.75 meters;”

(B) after clause (iv), the following provisos shall be inserted, namely:-

“Provided that, on and after the 1st April 2017, in case of truck-trailer or tractor-trailer vehicles engaged by automobile manufacturers to carry motor vehicles from their factories to different sale outlets in the country, 18.75 meters:

Provided further that on and after the 1<sup>st</sup> April 2017, articulated or truck-trailer or tractor-trailer vehicles engaged by automobile manufacturers to carry motor vehicle from their factories to different sale outlets in the country, shall be provided with a sliding inspection window on the container body, to allow verification of motor vehicles carried in the container and the sliding inspection window shall be minimum of 400 millimeters in length and 300 millimeters in height and at least one sliding inspection window shall be fitted to the middle third of the vehicle, the foremost sliding inspection window being not further than 3 meters from the front and in the case of trailers, account shall be taken of the length of the drawbar for the measurement of this distance and the distance between two adjacent sliding inspection windows shall not exceed 4 meters and the height of the upper edge of the sliding inspection window shall not be more than 1.8 meters from the ground;”;

(II) in rule 118 of the said rules, in sub-rule (1), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided also that on and from 1<sup>st</sup> April 2017, articulated or truck-trailer or tractor-trailer vehicles engaged by automobile manufacturers to carry motor vehicles from their factories to different sale outlets in the country, shall be equipped or fitted by the vehicle manufacturer, either in the manufacturing stage or at the dealership stage, with a speed governor (speed limiting device or speed limiting function) having maximum speed of 60 kilometers per hour conforming to AIS 018/2001, as amended from time to time, till such time the corresponding Bureau of Indian Standards specifications are notified.”;

(III) in rule 125 of the said rules, in sub-rule (2), after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided also that on and from the 1<sup>st</sup> April 2017, articulated or truck-trailer or tractor-trailer vehicles engaged by automobile manufacturers to carry motor vehicle from their factories to different sale outlets in the country, shall be equipped with a rear surveillance camera-monitoring device or rear view camera.”.

[No. RT-11028/29/2006-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R.953(E) dated the 5.10.2016.